राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1660 / SEIAA/2022
Date: 23/9/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण क्र 9244/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी जकीरा हाउस, घुरदंग, रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.804 हेक्टेयर, खसरा 49/1/ख/1/1, 49/1/ख/1/2, 49/1/ख/2, ग्राम बेला, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 746वी SEIAA बैठक दिनांक 13.09.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार खदान क्षेत्र से 34, 40 एवं 120 मीटर की दूरी पर रहवासी क्षेत्र होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्तावित खदान से 200 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

अतः उपरोक्तानुसार माननीय एनजीटी के दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रस्तावित खदान के समीपस्थ स्थित रहवासी क्षेत्र के दृष्टिगत खनन गतिविधि हेतु अनुमति के संबंध में जिला कलेक्टर सतना से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि रहवासी क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की लीज खनन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं।"

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया रहवासी क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की लीज खनन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं के संबंध में स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तदानुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

O/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1661 / SEIAA / 2022 भोपाल दिनांक 23/9/22

प्रतिलिपि :–

1. श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी जकीरा हाउस, घुरदंग, रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र) की ओर सूचानार्थ।

O/c सदस्य सचिव